

मतदान दिवस के प्रपत्र

हर प्रपत्र, रजिस्टर, घोषणा और लिफाफा — कौन भरेगा, कब भरेगा, कैसे भरेगा — पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के लिए

- नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 · मतदान: 09.09.2026 एवं 11.09.2026
- मुख्य स्रोत: पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM) एवं नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994
- चार अनिवार्य प्रपत्र · छह परिस्थिति-प्रपत्र · 14 लिफाफे · 3 जमा-काउंटर

पहले शब्दावली — 'प्ररूप' और 'परिशिष्ट' अलग शृंखलाएँ हैं

प्ररूप (Form)

नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 से विहित — विधिक प्रपत्र।

उदाहरण: प्ररूप 9 (अधिकर्ता-नियुक्ति), 13 (चैलेंज सूची), 14-क (रजिस्टर), 14-ग (मतपत्र लेखा), 16 (EDC)।

परिशिष्ट (Annexure)

मार्गदर्शिका/आयोग-आदेशों से — कार्यविधि के प्रपत्र।

उदाहरण: परि-6 (घोषणाएँ), परि-7 (डायरी), परि-19 (मॉक पोल प्रमाणपत्र), परि-15 (चेक मेमो)।

भ्रम की जड़

परिशिष्ट-8, प्ररूप-8 नहीं है — वह तो प्ररूप 14-ग का भरा हुआ नमूना है। और छपे प्रपत्रों पर पुराने विधि-लेबल मिलेंगे (14-ग मद 3 पर 'नियम 45-क', परि-9 पर 'धारा 171-च', परि-10 पर 'अधिनियम 1959') — निर्देश सही हैं, लेबल पुराने; विहित प्रपत्र पर स्वयं काट-छाँट कभी न करें, प्रशिक्षण में मौखिक रूप से स्पष्ट करें।

इस डेक का दायरा

केवल मतदान-दिवस के बूथ-प्रपत्र। मतगणना के प्ररूप (19–23) इसमें नहीं हैं।

एक नजर में — कौन-सा प्रपत्र कब

समूह	प्रपत्र	कब
हर बार, हर बूथ	प्ररूप 14-ग · परि-7 डायरी · परि-19 · परि-6 (तीन घोषणाएँ)	मॉक पोल से समापन तक
हर मतदाता पर	प्ररूप 14-क (मतदाताओं का रजिस्टर)	पूरे दिन
परिस्थिति आने पर	14-ख (निविदत्त) · 13 + परि-13 (चैलेंज) · 12 + परि-12 (साथी) · परि-10/11 (आयु) · परि-9 (पुलिस)	घटना घटने पर
अभिकर्ता-सम्बन्धी	प्ररूप 9 (नियुक्ति) · प्ररूप 10 (प्रतिसंहरण)	आगमन पर
प्राप्ति व जाँच	परि-4 (दो रसीदें) · परि-15 (चेक मेमो 24 मर्दें)	सामग्री मिलते ही / दिनभर
EDC/डाक-मतपत्र सेट	प्ररूप 15, 15-क, 16, 16-क से 16-घ	सम्बन्धित मतदाता आने पर
समेटना	लिफाफे E-1...E-14 · तीन जमा-काउंटर	मतदान समाप्ति पर

01

ચાર અનિવાર્ય પ્રપત્ર

પ્રરૂપ 14-ગ · ડાયરી (પરિ-7) · મૉક પોલ પ્રમાણપત્ર (પરિ-19) · ઘોષણાઈ (પરિ-6)

प्ररूप 14-ग — रिकार्ड किये गये मतों का लेखा

- **कौन, कब** — पीठासीन अधिकारी, मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद — CLOSE दबाते ही डिस्प्ले की संख्या सीधे मद 5 में उतारें। भाग-2 (मतगणना का परिणाम) बूथ पर नहीं भरा जाता — वह गणना-मेज पर भरा जाएगा।
- **शीर्ष-भाग न भूलें** — निकाय का नाम, वार्ड सं., मतदान केन्द्र सं. व नाम, नामावली भाग सं. — और CU व BU दोनों के पहचान संख्यांक (RJSCU.../RJSBU...)।
- **दो प्रतियाँ** — एक प्रति लिफाफा E-9 में (लिफाफे पर 'Account of Votes Recorded / रिकार्ड किये गये मतों का लेखा' लिखना नियम 49-क(2) की अपेक्षा है); दूसरी डायरी के साथ E-11 में।
- **अभिकर्ता का अधिकार** — समाप्ति पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता माँगे तो प्रमाणित प्रति दें — यह चेक मेमो की मद 18 भी है।

एक ही केन्द्र-संख्या हर जगह

मार्गदर्शिका के अपने नमूने में ऊपर केन्द्र '16' और नीचे '15' छपा है — यह चूक है; आपके प्रपत्र में ऊपर-नीचे एक ही संख्या हो।

14-ग भाग-1 — मदें 1 से 6 और सुनहरा मिलान

मद	क्या भरें
1	केन्द्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या — नामावली से
2	रजिस्टर 14-क में दर्ज मतदाता = 14-क के स्तम्भ (1) का अन्तिम क्रमांक
3	मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले ('No Vote') — मतदाता का अपना निर्णय
4	नियम 35-क / 37-क के अधीन अनुज्ञात न किये गए — PRO का निषेध (स्याही/हस्ताक्षर से इन्कार; प्रक्रिया-भंग)
5	मशीन के अनुसार रिकार्ड मत — CLOSE का अंक तत्काल
6	मिलान: मद 5 = मद 2 – मद 3 – मद 4 — उत्तर 'हाँ' आना चाहिए; अंतर हो तो कारण लिखें

मद 3 बनाम मद 4 — परीक्षा में सबसे अधिक पूछा जाने वाला भेद

मद 3 में मतदाता ने स्वयं मत न देने का निर्णय किया (रजिस्टर में हस्ताक्षर के बाद); मद 4 में पीठासीन अधिकारी ने मत देने से रोका। दोनों की प्रविष्टि रजिस्टर 14-क के अभ्युक्ति कॉलम में उसी समय होती है।

14-ग भाग-1 — मदें 7 से 9, और एक छपी हुई गलती

- **मद 7** — नियम 44-क के अधीन जारी निविदत्त मतपत्रों की संख्या — 14-ख की प्रविष्टियों के बराबर।
- **मद 8** — निविदत्त मतपत्रों का हिसाब: (क) प्राप्त — सदैव 20, क्रम सं. 'से...तक' सहित; (ख) जारी; (ग) अप्रयुक्त-वापस। जाँच: $(ख) + (ग) = (क)$, और $(ख) = मद 7$ ।
- **मद 9 — पेपर सीलों का लेखा** — (1) प्रदाय सीलों के क्रमांक (2) कुल संख्या (3) प्रयुक्त — क्रमांक सहित (4) अप्रयुक्त-वापस (5) नष्ट — न हो तो 'निरंक'। पिंक पेपर सीलों का अलग लेखा नहीं बनता — इसी मद में।
- **भाग-2 में नोटा** — गणना-मेज पर भरे जाने वाले भाग-2 में नोटा की पंक्ति कभी खाली न रहे — शून्य हो तो '0' लिखा जाएगा।

छपा निर्देश उल्टा है — मद 9(4)

प्रपत्र पर मद 9(4) के आगे '(मद 3 से मद 2 घटाइए)' छपा है — यह उल्टा है और ऋणात्मक उत्तर देगा। सही गणना: मद 9(2) – मद 9(3)। भरते समय यही करें; प्रपत्र के छपे पाठ में काट-छाँट न करें।

भाग-1: मर्दे 1-8 (लिफाफा E-9 का स्टीकर द्रष्टव्य)

मद 9 — पेपर सीलों का लेखा व हस्ताक्षर-खण्ड

परिशिष्ट-7 — पीठासीन अधिकारी की डायरी (30 मदें)

- **नियम नंबर एक — तत्समय** — घटना घटते ही प्रविष्टि करें, मतदान की समाप्ति पर नहीं; जगह कम पड़े तो सादा कागज नथी करें।
- **मदों का ढाँचा** — 1-7 केन्द्र/मशीन/सीलें-टैग · 8-10 अभिकर्ता · 11-12 मतदाता-मिलान व पुरुष/महिला/थर्ड जेंडर योग · 13-19 विशेष मत (चैलेंज, EDC, साथी, निविदत्त, आयु-घोषणा, पहचान EPIC/वैकल्पिक, दृष्टिहीन) · 20-24 स्थगन/समयवार मत/परिचियाँ/अपराध/विघ्न · 25-30 मशीन-निष्फलता, शिकायतें, दल-त्रुटियाँ, घोषणाएँ, मॉक पोल विवरण।
- **मद 21 — समयवार मत, चार खण्ड** — प्रारम्भ-10 पूर्वाह्न · 10-1 · 1-3 · 3-समाप्ति; इसके लिए 10:00, 13:00, 15:00 व समाप्ति पर (Busy बुझी अवस्था में) TOTAL दबाकर अंक नोट करने की आदत डालें।
- **मद 30** — मॉक पोल का विवरण और जारी प्रमाण-पत्र (परि-19) का उल्लेख इसी मद में — मद 25 में नहीं (वह मशीन-निष्फलता की मद है)।

डायरी स्ट्रॉन्ग रूम में बंद नहीं होगी — आदेश 858

डायरी लिफाफा E-11 में जाती है, पर सीलबन्द मशीन के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में किसी भी स्थिति में बंद नहीं की जाएगी — वह RO/ARO की अभिरक्षा में रहती है, और स्थगन/पुनर्मतदान की रिपोर्ट से पहले उसका अध्ययन अनिवार्य है।

डायरी और 14-ग का सुनहरा मिलान — बूथ छोड़ने से पहले

डायरी	बराबर होना चाहिए	14-ग / स्रोत
मद 11(2) — चिह्नित प्रति से अनुज्ञात	=	14-ग मद 2 (रजिस्टर 14-क का अन्तिम क्रमांक)
मद 12 — पुरुष + महिला + थर्ड जेंडर का योग	=	14-ग मद 5 (मशीन का अंक)
मद 16 — निविदत्त मतों की संख्या	=	14-ग मद 7
मद 6 — प्रयुक्त पेपर सीलें	=	14-ग मद 9(3)
मद 21 — चारों समय-खण्डों का योग	=	14-ग मद 5
मद 17(क)/(ख) — आय-घोषणाएँ	=	परि-11 भाग-I/भाग-II की गिनती

एक भी न मिले तो

कोई प्रविष्टि गलत है — वहीं बैठकर ठीक करें; मिलान अभिकर्ताओं के समक्ष करना ही पारदर्शिता है। महिला ✓ और थर्ड जेंडर * के चिह्न चिह्नित प्रति में दिनभर लगाते चलें, तभी मद 12 बनेगी।

परिशिष्ट-7 डायरी — पहला पृष्ठ (मर्दे 1–10)

नगरीय निकाय चुनाव 2026

(सभी नाम काल्पनिक हैं,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट – 7

[देखें भाग-3]

लिफाफा संख्या E-11 में रचकर सील नहीं करना है।

पीठासीन अधिकारी (प्रिंसाइपल ऑफिसर) की डायरी

1. नगर पालिका का नाम

पावटा

2. वार्ड संख्यांक

21

3. मतदान की तारीख

जो लागू हो वह लिखें।

4. मतदान केन्द्र का नम्बर एवं नाम

122 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,पावटा.

5. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

-

1. प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट की संख्या

01 अथवा जो लागू हो वह लिखें

2. प्रयुक्त कंट्रोल यूनिट की पहचान क्रम संख्या

निवर्जन यूनिट CU33456X अथवा जो लागू हो वह लिखें

3 प्रयुक्त Ballot यूनिट की संख्या

01 अथवा जो लागू हो वह लिखें

4. प्रयुक्त Ballot यूनिट की पहचान क्रम संख्या मतदान यूनिट.

BU2345Y अथवा जो लागू हो वह लिखें। ..

6. 1. प्रयुक्त पेपर सील की संख्या

02

2. प्रयुक्त पेपर सील का क्रमांक

जो लागू हो वह लिखें

3. प्रयुक्त स्टीप सील का क्रमांक

जो लागू हो वह लिखें

7. 1. आपूर्ति किये गये स्पेशल टैगों की संख्या

04 अथवा जो लागू हो वह लिखें

2. आपूर्ति किये गये स्पेशल टैगों की कम संख्या

.123 से 126 अथवा जो लागू हो वह लिखें

3. प्रयुक्त स्पेशल टैगों की संख्या

...01 अथवा जो लागू हो वह लिखें .

4. प्रयुक्त स्पेशल टैगों की कम संख्या

123 अथवा जो लागू हो वह लिखें .

5. अप्रयुक्त वापस किये गये स्पेशल टैगों की कम संख्या

124 से 126 अथवा जो लागू हो वह लिखें

8. मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलम्ब से आये हों, उनकी संख्या

06 अथवा जो लागू हो वह लिखें तथा 01 अथवा जो लागू हो वह लिखें

9. मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने वाले अम्यारियों की संख्या

07 अथवा जो लागू हो वह लिखें

10. 1. मतदान के प्रारम्भ पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या

06 अथवा जो लागू हो वह लिखें .

2. विलम्ब से पहुंचने वाले मतदान अभिकर्ताओं की संख्या

01 अथवा जो लागू हो वह लिखें .

3. मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या

06 अथवा जो लागू हो वह लिखें .

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

केन्द्र/मशीन/सील-टैग विवरण व अभिकर्ता-मर्दे — शेष 30 मर्दों तक इसी क्रम में

परिशिष्ट-19 — मॉक पोल प्रमाण-पत्र

- **पाँच स्तम्भ** — क्र.सं. (1-10) · भाग लेने वाले सदस्य का नाम · मॉक पोल वोटर पर्ची क्रमांक · जिस अभ्यर्थी को मत दिया उसकी क्रम संख्या · हस्ताक्षर।
- **छपा प्रमाणन** — 'प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम एक वोट देकर मॉक पोल पूर्ण किया' — नोटा सहित; परिणाम का मिलान, 'कोई भिन्नता नहीं'; और 'रिकार्ड मतों को Clear (डिलीट) कर दिया गया' — अंत में PRO के हस्ताक्षर।
- **क्रम याद रखें** — मॉक पोल → TOTAL → CLOSE → RESULT-I → मिलान → CLEAR → TOTAL से 0 दिखाना → हस्ताक्षर → तब सीलिंग।
- **कहाँ जाएगा** — परिशिष्ट-6 की घोषणाओं के साथ संलग्न होकर लिफाफा E-10 (बिना सील); डायरी मद 30 में विवरण; सामग्री में 2 प्रतियाँ मिलती हैं।

यदि CLEAR दबाना भूल गए और मतदान शुरू हो गया

स्वयं कोई निर्णय न लें — तुरन्त RO को सूचित करें। यही एकमात्र सही कार्रवाई है।

परिशिष्ट-19 — विहित प्रारूप

(परिशिष्ट-19)

प्रारूप मॉकपॉल प्रमाण पत्र

क्र.सं.	मॉकपॉल में भाग लेने वाले सदस्य का नाम	मॉकपॉल वोटर पर्ची क्रमांक	मतदान किये गये अम्बुथी की क्रम संख्या (जिसको वोट दिया है)	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

प्रत्येक अम्बुथी को कम से कम एक वोट देकर मॉकपॉल की प्रक्रिया पूर्ण की जाये। उपरोक्त सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपॉल के अनुसार मॉकपॉल परिणाम में प्राप्त मतों की संख्या तथा कंट्रोल यूनिट से Result बटन दबाने से प्राप्त मतों की संख्या का मिलान कर प्रदर्शित कर दिया गया है। जिसमें कोई भिन्नता नहीं है।

मॉकपॉल के पश्चात् ई.वी.एम. में रिकॉर्ड किये गये मतों को Clear (डिलीट) कर दिया गया है। मॉकपॉल प्रमाण पत्र को पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं के साथ संलग्न कर बिना सील किया हुए लिफाफा नं. E-10 में रखें।

(पीठासीन अधिकारी)

मॉक पोल प्रमाण-पत्र — पाँच स्तम्भ व छपा प्रमाणन-पाठ (E-10 में, बिना सील)

परिशिष्ट-6 — तीन घोषणाएँ, तीन समय

भाग-1 · मतदान आरम्भ से पूर्व

मॉक पोल कराकर दिखाया — मशीन खाली व सुचारू;
चिह्नित प्रति में केवल PB/EDC चिन्ह;
रजिस्टर 14-क में कोई प्रविष्टि नहीं;
पेपर सील पर स्वयं + इच्छुक एजेंटों के हस्ताक्षर।

भाग-2 · नई मशीन लेने पर

बाद वाली मशीन भी मॉक पोल से
खाली व सुचारू दिखाई गई;
जब-जब नई मशीन ली जाए,
तब-तब यह घोषणा।

भाग-3 · सीलबन्दी के बाद

अपनी मोहर लगाई; एजेंटों को
बक्सों पर मोहर की अनुमति दी;
दिनांक के साथ समय भी भरें —
यह इसी भाग की विशेष अपेक्षा है।

- **हस्ताक्षर-खाने** — अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर (1-7) और 'हस्ताक्षर से इन्कार करने वाले' (1-3) — इन्कार करने वालों के नाम लिखना उतना ही आवश्यक है जितना हस्ताक्षर लेना।
- **कहाँ जाएँगी** — तीनों घोषणाएँ + परि-19 → लिफाफा E-10 (बिना सील), काउंटर-1; डायरी मद 29 में पुष्टि करें कि घोषणाएँ कीं।

परिशिष्ट-6 — भरा हुआ नमूना

नगरीय निकाय चुनाव 2026

(सभी नाम काल्पनिक हैं,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट-6

लिफाफा संख्या E-10 में रखकर सील नहीं करना है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरम्भ से पूर्व, मतदान के दौरान एवं मतदान के अन्त में की गई घोषणाएँ

(केवल उन मतदान केंद्रों पर उपयोग के लिए जहाँ मतदान मशीन उपयोग में लाई जा रही हैं)

नगरपालिका का नाम**पावटा**..... वार्ड सं.**21**.....

मतदान केंद्र का क्रम संख्यांक और नाम ..**122 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,पावटा** ... मतदान की तारीख ..**जो लागू हो वह लिखें।**

भाग-1

(मतदान आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं घोषणा करता हूँ कि:-

- मैंने मतदान अधिकारियों और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बग़लदी मतदान करवाकर यह प्रदर्शित कर दिया है कि:-
(अ) मतदान मशीन/मशीनें चुनाव रूप से कार्य कर रही हैं और उसके भीतर कोई मत अभिलेखित नहीं है।
(ब) मतदान के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की विधित्त प्रति में उससे भिन्न कोई चिन्ह नहीं है जो डाक मतपत्र जारी किये जाने और निर्वाचक ब्यूट्री प्रमाण पत्रों के लिए प्रयुक्त किये गये हैं, और
(ग) मतदान के दौरान उपयोग में लिया गया मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 14क) में किसी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं हुई है।
- मैंने मतदान मशीन/मशीनें की कम्प्यूट्रिड के प्रमाण खण्ड को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली पेंसल पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिये हैं और उन मतदान अधिकारियों के हस्ताक्षर करा दिये हैं जो वही उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के दृष्टिक्र से।

हस्ताक्षर (राजू खान)
पीठासीन अधिकारी

मतदान अधिकारियों के हस्ताक्षर

-**अविनाश**..... (..... जो लागू हो वह लिखें। अपनी का मतदान अधिकारी)
-**मुकुल**..... (..... जो लागू हो वह लिखें। अपनी का मतदान अधिकारी)
-**संदीप**..... (..... जो लागू हो वह लिखें। अपनी का मतदान अधिकारी)
-**राजभर**..... (..... जो लागू हो वह लिखें। अपनी का मतदान अधिकारी)
-**सुजाल**..... (..... जो लागू हो वह लिखें। अपनी का मतदान अधिकारी)
-**अक्षर**..... (..... जो लागू हो वह लिखें। अपनी का मतदान अधिकारी)
-**उपप्रकाश**..... (..... जो लागू हो वह लिखें। अपनी का मतदान अधिकारी)

निम्नलिखित मतदान अधिकारी/अधिकारियों ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है।

- जो लागू हो वह लिखें। (..... जो लागू हो वह लिखें। अपनी का मतदान अधिकारी)
- जो लागू हो वह लिखें। (..... जो लागू हो वह लिखें। अपनी का मतदान अधिकारी)
- जो लागू हो वह लिखें। (..... जो लागू हो वह लिखें। अपनी का मतदान अधिकारी)

तारीख जो लागू हो वह लिखें।

हस्ताक्षर (राजू खान)

पीठासीन अधिकारी

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

तीनों घोषणाएँ एक ही प्रपत्र पर — हस्ताक्षर-खाने व इन्कार-खाने सहित

02

मतदाताओं का रजिस्टर

प्ररूप 14-क — हर मतदाता की एक पंक्ति

प्ररूप 14-क — मतदाताओं का रजिस्टर

स्तम्भ	क्या भरें
(1) क्रम संख्या	1 से निरंतर — किसी भी दशा में बदली नहीं जाएगी (प्रति पृष्ठ 15 पंक्तियाँ)
(2) नामावली क्रम सं.	चिह्नित प्रति में मतदाता की क्रम संख्या (जैसे पहला मतदाता → 1/518)
(3) हस्ताक्षर/अँगूठा	पूरा नाम; केवल निशान पर अड़े तो अँगूठा लें; अँगूठा भी न दे तो मत की अनुमति नहीं
(4) अभ्युक्तियाँ	विशेष प्रविष्टियों का स्तम्भ — पूरी सूची नीचे

- **अभ्युक्ति-स्तम्भ में क्या-क्या** — हर मतदाता पर पहचान-दस्तावेज के अंतिम 4 अंक; 'No Vote'; 'अनुमति नहीं दी' + PRO के पूर्ण हस्ताक्षर; क्रम-भंग की टिप्पणी; साथी के हस्ताक्षर का नोट।
- **कौन भरता है** — मार्गदर्शिका के 2026 कार्य-विभाजन में यह PO-2 का काम है — प्रविष्टि, हस्ताक्षर/अँगूठा, स्याही, फिर मतदाता पर्ची जारी करना; पर्ची जारी करना PO-1 का काम किसी दशा में नहीं।
- **EDC-मतदाता की पंक्ति** — स्तम्भ 2 में उसकी नामावली का क्रमांक/भाग और नगरपालिका-वार्ड लिखें।

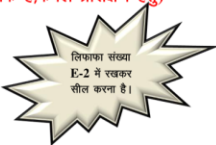
कहाँ जाएगा

भरा रजिस्टर → लिफाफा E-2 (चपड़ी से सीलबन्द), काउंटर-2; अन्तिम क्रमांक = 14-ग मद 2।

प्ररूप 14-क — भरा हुआ नमूना

नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक हैं,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप-14 क
(नियम - 35 क एवं 78 देखिये)
मतदाताओं का रजिस्टर



पावटा नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/नगरम के लिए सदस्य वार्ड संख्या 21 से निर्वाचन मतदान केन्द्र की संख्या और नाम ...
...122/ रा.उ.मा.वि.,पावटा निर्वाचक नामावली का भाग संख्या 122

क्र.सं. 1	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्र.सं. 2	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप 3	अभ्युक्तिर्ग्यौ 4
1	122	मनोज कुमार	मतदाता ने मत देने से मना किया
2	335	कैलाश	DL 0023
3	629	मनोरमा	
4	143	संतोषी देवी	
5	179	रमेश	पौडासीन अधिकारी द्वारा मतदाता को मत देने से मना किया

राजू लाल
पौडासीन अधिकारी के
हस्ताक्षर

मनीष कुमार गौयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

चारों स्तम्भ — नामावली-क्रम, हस्ताक्षर/अँगूठा और अभ्युक्ति कॉलम की प्रविष्टियाँ

03

परिस्थिति-प्रपत्र

निविदत्त · चैलेंज · साथी · आयु-घोषणा · पुलिस-पत्र

प्ररूप 14-ख — निविदत्त मतों की सूची

- 1 पहले प्रविष्टि, फिर मतपत्र**
पहचान के समाधान और बाईं तर्जनी पर स्याही के बाद 14-ख में प्रविष्टि व मतदाता के हस्ताक्षर/अँगूठा — तभी निविदत्त मतपत्र जारी होगा।
- 2 स्तम्भ 4 सबसे खास**
उस व्यक्ति की रजिस्टर 14-क वाली क्रम संख्या लिखनी है जिसने असली मतदाता की जगह पहले मत डाल दिया था।
- 3 मतपत्र की तैयारी**
पीठ पर 'निविदत्त मतपत्र' स्टाम्प (न हो तो हाथ से लिखकर PRO हस्ताक्षर) + सुभिन्नकारी चिन्ह की मोहर — ऊपर वार्ड क्रमांक, नीचे केन्द्र क्रमांक।
- 4 मत और अभिलेख**
मतदाता एरोक्रॉस सील से कक्ष में चिन्ह लगाकर मुड़ा मतपत्र PRO को देगा → E-5; चिह्नित प्रति में 'T'; लेखा 14-ग मर्दे 7-8; डायरी मद 16।
- 5 लिफाफे**
प्रयुक्त मतपत्र E-5 · अप्रयुक्त E-4 · सूची 14-ख E-6 — तीनों चपड़ी से सीलबन्द।

प्ररूप 14-ख — भरा हुआ नमूना

नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक हैं,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप — 14 ख
(निवम -44 क एवं 78 देखियें)



निविदत मतों (Tender Votes) की सूची

पावटा नगरपालिका बोर्ड/नगरचरिषद/सिम के लिए सदस्य वार्ड संख्या 21 से निविदन मतदान केन्द्र की संख्या और नाम
122/ रा.उ.मा.वि.पावटा निविदक नामावली का भाग संख्या 122

क्र.सं.	निविदक का नाम	निविदक नामावली में निविदककी क्रम संख्या	मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप-14क) में उस व्यक्ति की क्र.सं. जिसने निविदक के स्थान पर पहले से ही मतदान कर दिया है।	निविदक के हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप
1	2	3	4	5
1	अरविन्द कुमार	174	12	अरविन्द कुमार
2	आशुतोष राना	345	67	आशुतोष राना
3	कोयली देवी	675	89	कोयली देवी
4	ममता कुमारी	654	56	ममता कुमारी
5	जय प्रकाश	432	60	जय प्रकाश

तारीख 13.08.2026
राजू लाल
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

स्तम्भ 4 पर ध्यान दें — पहले मत डाल चुके व्यक्ति की रजिस्टर 14-क वाली क्रम संख्या

प्ररूप 13 + परिशिष्ट-13 — चैलेंज का कागजी पक्ष

- **रसीद पहले** — ₹2 नकद जमा होते ही परिशिष्ट-13 की रसीद बुक से रसीद दें; प्रतिपत्र पर दो खाने छपे हैं — 'सरकार के पक्ष में जब्त' (PRO के हस्ताक्षर) अथवा 'नियम 43(5) के अन्तर्गत ₹2 वापस प्राप्त किए' (चुनौतीकर्ता के हस्ताक्षर) — जो लागू न हो उसे काट दें।
- **प्ररूप-13 के 9 स्तम्भ** — नाम, क्रम/भाग सं., चुनौती-प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर व पता, पहचानने वाला, चुनौती देने वाला — स्तम्भ 8 में पीठासीन अधिकारी का आदेश (कारण सहित) और स्तम्भ 9 में राशि-वापसी पर चुनौतीकर्ता के हस्ताक्षर।
- **साथ-साथ** — शपथ पर संक्षिप्त जाँच; सिद्ध होने पर परि-9 से थानाधिकारी को शिकायत; डायरी मद 13 (अनुमत/अस्वीकृत/जब्त राशि = ₹2 × जब्त चुनौतियाँ)।
- **लिफाफे** — प्ररूप-13 → E-7 (सीलबन्द); रसीद बुक → E-14 (बिना सील)।

जब्ती का नियम — दोनों पाठ जानें

नियम 43(5): चुनौती तुच्छ या सद्भावना-रहित हो तभी जब्त — अन्य हर दशा में (चुनौती सही सिद्ध होने पर भी) वापस। आयोग का अपना प्रशिक्षण डेक (Polling Party PPT-2, स्लाइड 51–53 की मद 12 व 13) भी यही कहता है; मार्गदर्शिका अ. 6(2) का 'चुनौती सही → जब्त' वाला वाक्य इन दोनों से अलग खड़ा है और नियम ऊपर है। स्तम्भ 8 में अपना आदेश कारण सहित लिखें।

चैलेंज के दोनों कागज — भरे नमूने

नगरीय निकाय चुनाव 2026

(सभी नाम काल्पनिक हैं,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्रारूप — 13

(नियम — 43 एवं 78 देखियें)

चुनौती मतों की सूची (Challenged Vote)

निफाफा संख्या E-7 में रखकर सील करना है।

नगरपालिका **पावटा**

वार्ड संख्या **21** के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र संख्या **122**, मतदान केन्द्र का नाम **रा.उ.मा.वि.,पावटा.**

क्र. सं.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक की क्रम संख्या व नाम संख्या	चुनौती दिये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर व अंगुठी की छाप	चुनौती दिये गये व्यक्ति का पता	पहचानने वाले का, यदि कोई नाम हो	चुनौती देने वाले का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	जमा की शीटवाले प्राप्त होने पर चुनौती लेने वाले के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मनीष कुमार	122/234	मनीष कुमार	वार्ड नं. 21,पावटा	यदि कोई नाम हो तो लिखें	चुनौती देने वाले का नाम लिखें	चुनौती रद्द या जैसा भी आदेश हो वह लिखें	कोलम संख्या 7 के अनुसार नाम लिखें
2	कैलाश	335/234	कैलाश	वार्ड नं. 21,पावटा	यदि कोई नाम हो तो लिखें	चुनौती देने वाले का नाम लिखें	चुनौती रद्द या जैसा भी आदेश हो वह लिखें	कोलम संख्या 7 के अनुसार नाम लिखें
3	मनोरमा	629/234	मनोरमा	वार्ड नं. 21,पावटा	यदि कोई नाम हो तो लिखें	चुनौती देने वाले का नाम लिखें	चुनौती रद्द या जैसा भी आदेश हो वह लिखें	कोलम संख्या 7 के अनुसार नाम लिखें
4	संतोषी देवी	143/234	संतोषी देवी	वार्ड नं. 21,पावटा	यदि कोई नाम हो तो लिखें	चुनौती देने वाले का नाम लिखें	चुनौती रद्द या जैसा भी आदेश हो वह लिखें	कोलम संख्या 7 के अनुसार नाम लिखें
5	रमेश	179/234	रमेश	वार्ड नं. 21,पावटा	यदि कोई नाम हो तो लिखें	चुनौती देने वाले का नाम लिखें	चुनौती रद्द या जैसा भी आदेश हो वह लिखें	कोलम संख्या 7 के अनुसार नाम लिखें

हस्ताक्षर

तारीख 13.08.2026

राजू लाल
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

प्रारूप-13 — नौ स्तम्भ; लिफाफा E-7 का स्टीकर

नगरीय निकाय चुनाव 2026

(सभी नाम काल्पनिक हैं,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट 13

चैलेंज फीस, रसीद बुक प्रारूप

परिशिष्ट 13

(देखें भाग 6, पैरा 2.1)

कार्यालय पीठासीन अधिकारी

आपसित शुल्क (चैलेंज फी) के लिये रसीद

क्रम सं. 01, पृष्ठ संख्या 02 अथवा जो लागू हो

श्री कमल किशोर..... *उम्मीदवार/ निर्वाचन अधिकर्ता/ मतदान अधिकर्ता से 2(दो) रुपये मात्र नकद राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 के अधीन आपसित की निश्चित राशि (डिपॉजिट) के रूप में प्राप्त किये।

राजू लाल
हस्ताक्षर

तारीख जो लागू हो, पीठासीन अधिकारी

वार्ड संख्या 21.....
नगरपालिका ..पावटा.....
मतदान केन्द्र का नाम
व क्रमांक ..122 राउमावि,पावटा.

*सरकार के पक्ष में धनराशि जमा की जाती है।

राजू लाल
हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 (b) के अन्तर्गत 2 (दो) रुपये मात्र वापस प्राप्त किये।

कमल किशोर
नाम व हस्ताक्षर
उम्मीदवार/ निर्वाचन अधिकर्ता/ मतदान अधिकर्ता

* जो अनुकूल्य लागू न हो से काट दीजिये।

परिशिष्ट 13

(देखें भाग 6, पैरा 2.1)

कार्यालय पीठासीन अधिकारी

आपसित शुल्क (चैलेंज फी) के लिये रसीद

क्रम सं. 01, पृष्ठ संख्या 02 अथवा जो लागू हो

श्री कमल किशोर .. *उम्मीदवार/ निर्वाचन अधिकर्ता/ मतदान अधिकर्ता से 2(दो) रुपये मात्र नकद राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 के अधीन आपसित की निश्चित राशि (डिपॉजिट) के रूप में प्राप्त किये।

राजू लाल
हस्ताक्षर

तारीख जो लागू हो, पीठासीन अधिकारी

वार्ड संख्या 21.....
नगरपालिका ..पावटा.....
मतदान केन्द्र का नाम
व क्रमांक 122 राउमावि,पावटा.....

राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 (b) के अन्तर्गत 2 (दो) रुपये मात्र वापस प्राप्त किये।

कमल किशोर
नाम व हस्ताक्षर
उम्मीदवार/ निर्वाचन अधिकर्ता/ मतदान अधिकर्ता

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

परि-13 रसीद बुक — प्रतिपर्ण के 'जब्त/वापस' खाने

स्रोत: DLMT प्रपत्र-पुस्तिका 'सभी प्रकार के भरे हुए प्रपत्र' (राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, 2026) — अंक काल्पनिक, केवल प्रशिक्षण हेतु

प्रपत्र प्रशिक्षण · 23

प्ररूप 12 + परिशिष्ट-12 — साथी से मतदान का कागज

- **प्ररूप-12 (सूची)** — चार स्तम्भ — मतदाता की क्रम/भाग सं., मतदाता का पूरा नाम, साथी का नाम एवं पता, साथी के हस्ताक्षर।
- **परिशिष्ट-12 (घोषणा)** — साथी की आयु व पूरा पता, मतदाता की भाग+क्रम संख्या; घोषणा — मत गुप्त रखूँगा, आज किसी अन्य का साथी नहीं बना; केवल साथी के हस्ताक्षर — इस पर PRO का प्रतिहस्ताक्षर विहित नहीं है।
- **शर्तें** — साथी 18 वर्ष से कम का नहीं; एक दिन में एक ही मतदाता का साथी; केवल निरक्षरता आधार नहीं — दृष्टिहीनता/अंग-शिथिलता ही; जिसके हाथ में अँगुली/अँगूठा नहीं, उसके लिए साथी अनिवार्य।
- **कहाँ जाएँगे** — सूची + घोषणाएँ → लिफाफा E-14 (बिना सील); डायरी मर्दें 15 व 19।

साथी-मतदान के दोनों कागज — भरे नमूने

नगरीय निकाय चुनाव 2026

(सभी नाम काल्पनिक हैं,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्रारूप — 12

नियम — 28 (2)/38क(2) एवं 78 देखिये

दृष्टिहीन और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची

नगर पालिका पावटा

वार्ड संख्या 21

मतदान केन्द्र संख्या 122.

मतदान केन्द्र का नाम रा.उ.मा.वि.,पावटा..

निर्वाचक की क्रम संख्या व भाग संख्या	निर्वाचक का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम और पता	निर्वाचक के साथी के हस्ताक्षर
1	2	3	4
12	सुरेश कुमार	नितीन/वार्ड संख्या 21 पावटा	नितीन
22	जगरूप सिंह	महेश/ वार्ड संख्या 21 पावटा	महेश
35	मोहम्मद ईस्माइल	इरफान/ वार्ड संख्या 21 पावटा	इरफान
123	नरेंद्र कुमार	सूरज/ वार्ड संख्या 21 पावटा	सूरज
167	यामिनी गौतम	कौशल/ वार्ड संख्या 21 पावटा	कौशल
245	सुलेखा	गणेश/ वार्ड संख्या 21 पावटा	गणेश

राजू लाल

तारीख 13.08.2026

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

द्वितीय अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप-12 — साथी का नाम-पता व हस्ताक्षर

नगरीय निकाय चुनाव 2026

(सभी नाम काल्पनिक हैं,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट 12

(भाग 7 पैरा 1)

असाधारण प्रारूप

दृष्टिहीन या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

[नगरपालिका पावटा वार्ड संख्या 21]

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम

मैं अनमोल का पुत्र/पुत्री श्री कैलाश कुमार ... आयु 24 वर्ष पावटा का निवासी ... सुपर मार्केट,पावटा (स्थान)*

यह घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मैंने आज (तारीख) जो लागू हो वह लिखें। को किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(ख) मैं श्री रणजीत सिंह भाग संख्या 122 क्रम संख्या 203 की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा।

अनमोल

साथी के हस्ताक्षर

*यहां पर पूरा पता लिखा जाए।

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

परि-12 — साथी की घोषणा (केवल साथी के हस्ताक्षर)

स्रोत: DLMT प्रपत्र-पुस्तिका 'सभी प्रकार के भरे हुए प्रपत्र' (राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, 2026) — अंक काल्पनिक, केवल प्रशिक्षण हेतु

प्रपत्र प्रशिक्षण • 25

परिशिष्ट-10 व 11 — आयु की घोषणा और सूची

- **परि-10 — मतदाता की घोषणा** — घोषणा अर्हता-तिथि (नामावली की 1 जनवरी) को 18+ होने की है — आज की आयु की नहीं; नीचे PRO का प्रमाणन-खण्ड है — 'मेरे सामने हस्ताक्षर किए' — PRO प्रतिहस्ताक्षर करेगा। घोषणा से पहले मिथ्या घोषणा का दण्ड (धारा 15 — 1 वर्ष तक कारावास/जुर्माना) समझाएँ।
- **छपा लेबल पुराना** — प्रपत्र पर 'अधिनियम, 1959' छपा है — पढ़ें: अधिनियम 2009 (धारा-संख्या वही); प्रपत्र पर काट-छाँट न करें।
- **परि-11 — दो भागों की सूची** — भाग-I घोषणा प्राप्त, भाग-II इन्कार; पाँच स्तम्भों में अंतिम — 'पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु' — यह PRO का लिखित निर्णय है। इन्कार पर भी मत से नहीं रोका जाएगा।
- **मिलान व लिफाफा** — दोनों भागों की गिनती = डायरी मद 17(क)/(ख); दोनों प्रपत्र → E-14 (बिना सील)।

परिशिष्ट-9 — थानाधिकारी को शिकायती पत्र

- **कब** — केवल गम्भीर स्थिति में — प्रतिरूपण सिद्ध (चुनौती सफल) आदि; भरता PRO है।
- **क्या भरना है** — विषय-पंक्ति में निकाय/वार्ड/केन्द्र/तारीख; अभ्याक्षेपकर्ता का नाम-पिता-निवास; छद्मवेशी ने किस नाम से दावा किया — उसकी नामावली भाग व क्रम संख्या; किस पुलिस अधिकारी को सुपुर्द किया; निष्कर्ष।
- **दो खण्ड, दो हस्ताक्षर** — पत्र के नीचे RO को प्रति वाला दूसरा खण्ड है — उस पर PRO के अलग हस्ताक्षर होंगे।
- **छपा लेबल पुराना** — पत्र पर 'भा.दं.सं. 1860 की धारा 171-च' छपा है — निरसित; वास्तविक विधि BNS 2023 की धारा 172/174 है (आयोग का आदेश 5310 भी यही उद्धृत करता है)।
- **साथ में** — डायरी मदों 23/24/30 में प्रविष्टि।

परिशिष्ट-9 — भरा हुआ नमूना

नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट 9
(भाग 6 पैरा 2)

थाना अधिकारी को शिकायती पत्र
यदि आवश्यक हो तो ही देना है।

सेवामें,

थाना अधिकारी,

विषय:— नगरपालिका**पावटा**..... के वार्ड संख्या ...**21**.....से निर्वाचन मतदान केन्द्र (सं. और नाम) **122.राउमावि,पावटा**. में प्रतिरूपण — मतदान की तारीख ... **जो लागू हो वह लिखें।**

महोदय,

मुझे यह सूचित करना है कि श्री **.अनूप सिंह** ,के पुत्र और **पावटा** निवासी ने उस व्यक्ति की अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप किया है जिसे श्री**मुकेश कुमार** के सुपुर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने श्री **होरियार सिंह** होने का दावा किया है जिसका नाम नगरपालिका **पावटा** के वार्ड संख्या ...**21**.....की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या **.122** के क्रम संख्या **46** पर दर्शित है। यह व्यक्ति यह साबित नहीं कर सका है कि वह उक्त निर्वाचक है। मेरे विचार में वह छद्मवेशी हैं। अतः आप से निवेदन है कि आप भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171—च के अधीन अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करें।

भवदीय,

राजू लाल...

हस्ताक्षर**राजू लाल...**

पीठासीन ऑफिसर

स्थान **पावटा**....

तारीख .. **जो लागू हो वह लिखें।**

प्रति नगरपालिका **पावटा**... के रिटर्निंग ऑफिसर और **आयोग** को प्रेषित।

हस्ताक्षर **राजू लाल.**

राजू लाल...

पीठासीन ऑफिसर

मनीष कुमार गौयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

थानाधिकारी को शिकायती पत्र — नीचे RO-प्रति वाला दूसरा खण्ड

04

अभिकर्ता-प्रपत्र

प्ररूप 9 — नियुक्ति · प्ररूप 10 — प्रतिसंहरण

प्ररूप 9 — तीन खण्ड, और PRO का अपना कृत्य

- 1 खण्ड 1 — नियुक्ति**
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर; अभिकर्ता का नाम व पूरा पता।
- 2 खण्ड 2 — सहमति**
अभिकर्ता के अपने हस्ताक्षर।
- 3 खण्ड 3 — गोपनीयता की घोषणा**
अभिकर्ता PRO के सामने हस्ताक्षर करेगा और PRO 'Signed before me' लिखकर दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षर करेगा — कागज ले लेना पर्याप्त नहीं, यह PRO का अपना कृत्य है।
- 4 जाँच**
सामग्री में मिली अभ्यर्थियों/निर्वाचन-अभिकर्ताओं के नमूना-हस्ताक्षरों की फोटो-प्रतियों से खण्ड-1 के हस्ताक्षर मिलाएँ; 1 अभिकर्ता + 2 रिलीवर, एक समय में एक; बैज दें।
- 5 संग्रह**
प्रयुक्त प्ररूप-9 (और प्राप्त प्ररूप-10) → लिफाफा E-14 (बिना सील)।

अप्रचलित प्रपत्र स्वीकार न करें

प्ररूप 9-क व 10-क (अधिसूचना दि. 16.10.2019) तथा प्ररूप 11 (दि. 11.07.2014) विलोपित हैं — कोई प्रस्तुत करे तो मान्य नहीं। और 'दोपहर 3 बजे बाद रिलीवर प्रवेश नहीं' जैसा कोई नियम विहित नहीं — वैध प्ररूप-9 धारक को न रोकें।

प्ररूप 9 व 10 — भरे नमूने

नगरीय निकाय चुनाव 2026

(सभी नाम काल्पनिक हैं,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप — 9

(नियम — 26 (3) देखिये)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

नगरपालिका **पावटा**

वार्ड संख्या **21** के लिए निर्वाचन

मैं, **मनीष कुमार गोयल** अग्यर्वी/ **श्री सुरेन्द्र सिंह राठीड** , का निर्वाचन अभिकर्ता, जो उपर्युक्त निर्वाचन का अग्यर्वी है, श्री/श्रीमती **विक्रम सिंह वार्ड नं. 21 पावटा** ... (नाम और पूर्ण पता) को मतदान के दिन मतदान केन्द्र **राउमाधि,पावटा** मतदान केन्द्र सं. **122** पर मतदान अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए इसके द्वारा नियुक्त करता हूँ।

तारीख 13.08.2026

मनीष कुमार गोयल / सुरेन्द्र सिंह राठीड

अग्यर्वी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

तारीख 13.08.2026

विक्रम सिंह

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्ता की घोषणा
(पीठारीन अधिकारी के सम्म हस्ताक्षरित की जाये)

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन में मतदान की गोपनीयता को बनाये रखूंगा और बनाये रखने में सहायता करूंगा और किसी भी व्यक्ति को (किसी भी विधि के द्वारा/या अश्लीन प्रमाणित किसी प्रयोजन के सिवाय) ऐसी कोई भी सूचना नहीं दूंगा, जो ऐसी गोपनीयता के भंग की श्रेणी में आये।

तारीख **13.08.2026**

विक्रम सिंह

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैंने सम्म हस्ताक्षर किये।

राजू लाल

पीठारीन अधिकारी

मतदान केन्द्र पर पेश करने के लिए मतदान अभिकर्ता को सीधे जाने के लिए।

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

प्ररूप-9 — तीनों खण्ड; घोषणा PRO के समक्ष

नगरीय निकाय चुनाव 2026

(सभी नाम काल्पनिक हैं,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप — 10

(नियम — 26(5) देखिये)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

नगरपालिका **पावटा**

वार्ड संख्या **21** के लिए निर्वाचन

प्रतिनिधि:

पीठारीन अधिकारी,

मतदान केन्द्र सं **122**

मतदान केन्द्र का नाम **राउमाधि,पावटा**

महोदय

मैं... **मनीष कुमार गोयल** उपर्युक्त निर्वाचन का अग्यर्वी/उपर्युक्त निर्वाचन के अग्यर्वी श्री/श्रीमती **श्री सुरेन्द्र सिंह राठीड** का निर्वाचन अभिकर्ता श्री/श्रीमती **विक्रम सिंह वार्ड नं. 21 पावटा** मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का इसके द्वारा प्रतिसंहरण करता हूँ।

तारीख **13.08.2026** ...

मनीष कुमार गोयल / सुरेन्द्र सिंह राठीड

अग्यर्वी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

प्ररूप-10 — प्रतिसंहरण, सीधे PRO को संबोधित

स्रोत: DLMT प्रपत्र-पुस्तिका 'सभी प्रकार के भरे हुए प्रपत्र' (राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, 2026) — अंक काल्पनिक, केवल प्रशिक्षण हेतु

प्रपत्र प्रशिक्षण • 32

05

प्राप्ति और जाँच

परिशिष्ट-4 की दो रसीदें · परिशिष्ट-15 चेक मेमो

परिशिष्ट-4 — सामग्री की दो रसीदें (PRO अपने पास रखे)

रसीद प्रपत्र (1) — मतदान सामग्री

स्टाम्प पैड (2), अमिट स्याही की शीशी,
PRO की पीतल सील (1), एरोक्रॉस रबर सील (5),
EVM मैनुअल, बैज आदि — गिनकर मिलान करें।

रसीद प्रपत्र (2) — प्रपत्र व लिफाफे

निविदत्त मतपत्र — 20,
नामावली की कार्यकारी प्रतियाँ — 3,
परि-6 की घोषणाओं के प्रपत्र, लिफाफे आदि।

- **यह '20' याद रखें** — रसीद (2) का निविदत्त-20 ही वह अंक है जो शाम को 14-ग मद 8(क) में लौटकर आएगा — प्राप्ति के समय गिनती इसीलिए जरूरी है।
- **किट-जाँच** — अमिट स्याही अनुदेश (आदेश 1408) की एक प्रति PRO की किट में होनी चाहिए — रवानगी पर ही देख लें।

परिशिष्ट-4 की दोनों रसीदें — भरे नमूने

नगरीय निकाय चुनाव 2026

(सभी नाम काल्पनिक हैं,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट —4

RECEIPT FORM POLLING ARTICLES NO. (1)

WHERE EVMs ARE USED

(To be retained by Presiding Officer)

(At the time of Issue)

1. Name of Municipality Paota.....

2. Ward No. 21.....

3. No. and Name of Polling Station ...122 GSSS,Paota..... Polling Party No. 12456.....

4. Name and Designation of Presiding Officer ...Raju Lal Lectuturer...

Articles to be supplied per polling station

1. Stamp Pad (purple)	-	-	-	-	2
2. Stamp Pad ink purple	-	-	-	-	1 Phial
3. Presiding Officer's Brass Seals	-	-	-	-	1
4. Arrow Cross Mark Rubber Seals	-	-	-	-	5
5. Manual of Electronic Voting Machine	-	-	-	-	1
6. Printed Badge for Presiding Officer	-	-	-	-	1
7. Printed Badges for Polling Officers	-	-	-	-	4
8. Printed Badges for Polling Agents	-	-	-	-	10
9. Singe Card Board Voting Compartment	-	-	-	-	Card Board
					Compartments 3 with drawing pins
10. Pla- Card 'Exit'	-	-	-	-	1
11. Pla-Card 'Entrance'	-	-	-	-	1
12. Empty Cigarette Tin or Earthen Pot	-	-	-	-	1
13. Iron Nails (Big)	-	-	-	-	6

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

रसीद (1) — मतदान सामग्री की सूची

नगरीय निकाय चुनाव 2026

(सभी नाम काल्पनिक हैं,केवल प्रशिक्षण हेतु)

RECEIPT FORM

WHERE EVMs ARE USED

Forms and Envelopes

NO. (2)

(At the time of Issue)

1. Name of Municipality Paota.....

2. Ward No. 21.....

3. No. and Name of Polling Station 122 Govt Sr.Sec.School,Paota.....

4. Polling Party No. 12456.....

5. Name and Designation of Presiding Officer ...Raju Lal Principal GSSS,Sewna.....

Forms etc.

Quantity

1. Ballot Papers (for Tendered votes)	-	-	20
2. Working Copies of E. Rolls	-	-	3
3. Form of declaration by Presiding Officer before commencement, during poll and after close of Poll	-	1	1
4. Form 13-List of Challenged Votes	-	-	1
5. Form 12-List of Blind and Infirm Voters	-	-	1
6. Form 14B-List of Tendered Votes	-	-	1
7. Form 14C-Account of votes recorded and Paper Seal Account	-	1	1
8. Form-Presiding Officer's Diary	-	-	1
9. Form-Declaration by companion of blind and Infirm Voters	-	-	5
10. Receipt Book of Challenged fee (containing 5 leaves each)	-	-	1
11. Address Tags for Control Unit	-	-	5
12. Address Tags for Ballot Unit	-	-	4 for each BU
13. Card Board Piece for EVM	-	-	4
14. Notice of Polling area under rule 30A (1) (a) alongwith hours of poll and closure	-	-	1
15. Notice of contesting candidates under rule 30A (1) (b)	-	-	1
16. List of Polling Station (relevant Portion)	-	-	1

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

रसीद (2) — प्रपत्र व लिफाफे (निविदत्त मतपत्र 20 द्रष्टव्य)

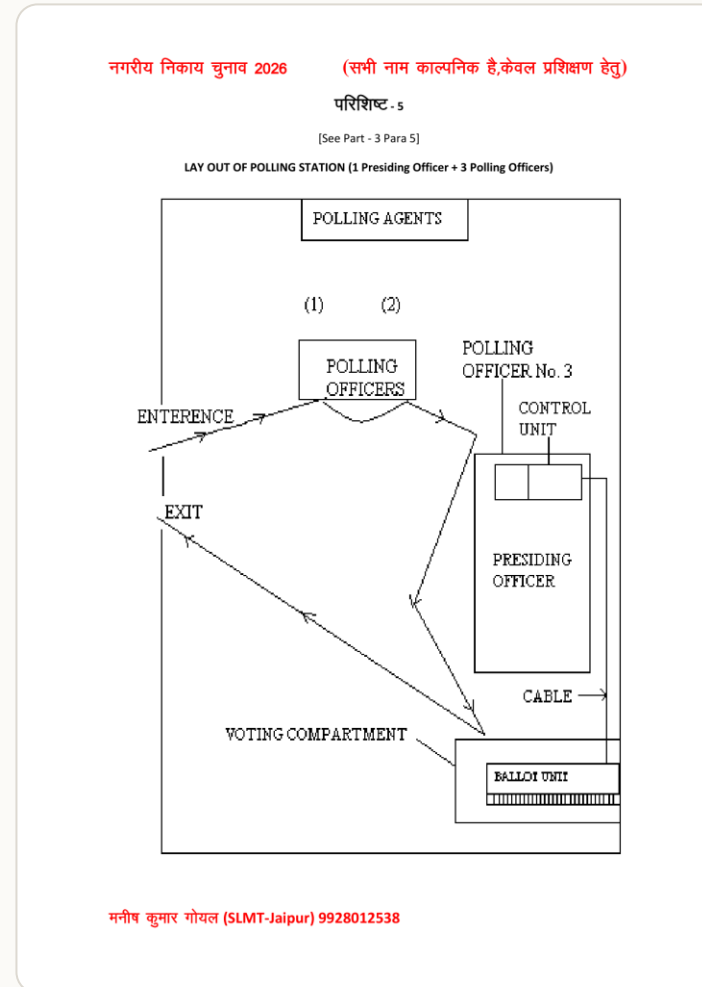
परिशिष्ट-15 — चेक मेमो: आयोग की अपनी 24-मद सूची

- **अपनी सूची नहीं** — यह आयोग का विहित चेक मेमो है — अपनी अलग सूची न बनाएँ; इसे लेमिनेट कर साथ रखने की सलाह प्रशिक्षण-सामग्री में ही है।
- **मदें 1–8** — अनुदेश-सामग्री, दल-परिचय, सामग्री की गिनती, CU-BU/चिन्हित प्रतियाँ/सीलों की जाँच, प्रवेश-निकास, नोटिस व अभ्यर्थी-सूची का प्रदर्शन, कनेक्शन-बैटरी।
- **मदें 9–15** — मॉक पोल; पिंक पेपर सील + स्पेशल टैग; रिजल्ट सेक्शन सील; स्ट्रिप सील; प्रारम्भ की घोषणा; धारा 128 (गोपनीयता) की सूचना; अभिकर्ताओं से क्रमांक नोट कराना।
- **मदें 16–24** — स्याही+हस्ताक्षर 'लगातार'; आयु-घोषणाएँ; 14-ग का लेखा व प्रमाणित प्रतियाँ; डायरी की समय-समय पर पूर्ति; नियत समय पर समाप्ति व घोषणा; मोहरबन्दी; जमा की तैयारी।

साथ के दो संदर्भ-परिशिष्ट

परि-14 = चरणवार कार्य-रूपरेखा (भरा नहीं जाता; चेतावनी: 'स्मरण-शक्ति पर निर्भर न रहें'); परि-5 = केन्द्र का ले-आउट — CU पीठासीन की मेज पर पूर्ण दृष्टिगोचर (नियम 32-ख(6))।

परिशिष्ट-5 — मतदान केन्द्र का विहित ले-आउट



1 PRO + 3 PO — CU पीठासीन की मेज पर, अभिकर्ता प्रवेश-द्वार की ओर मुख किए

06

EDC व डाक-मतपत्र प्रपत्र

प्ररूप 15 · 15-क · 16 · 16-क से 16-घ — बूथ पर क्या करना है

EDC (प्ररूप-16) और 16-क से 16-घ — बूथ की भूमिका

- **प्ररूप-16 (EDC) आए तो** — पाद-भाग में RO के हस्ताक्षर व मोहर दोनों जाँचें; धारक से प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कराएँ; नाम-क्रमांक चिह्नित प्रति के अन्त में जोड़ें; रजिस्टर 14-क में प्रविष्टि कर सामान्य मतदाता की तरह मशीन से मत; EDC संग्रह कर लिफाफा E-8 (सीलबन्द); डायरी मद 14।
- **प्ररूप 16-क — PRO का अनुप्रमाणन-कर्तव्य** — निर्वाचन-ऊ्यूटी मतदाता की घोषणा पर हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी या उस केन्द्र के PRO के समक्ष होंगे — अनुप्रमाणन करें, पर मतपत्र न देखें, न पूछें कि मत किसे दिया।
- **16-ख / 16-ग / 16-घ** — छोटा लिफाफा 'क' (मतपत्र क्रमांक; गणना से पूर्व न खोलें) · बाहरी लिफाफा 'ख' (RO को; मतदाता के पूरे हस्ताक्षर) · मतदाता-अनुदेश पत्र।
- **चिह्नित प्रति के वैध चिन्ह** — केवल 'PB' (डाक मतपत्र) व 'EDC' — परि-6 भाग-1 की घोषणा इसी तथ्य पर है; PB-चिह्नित मतदाता बूथ पर मत नहीं डाल सकता।
- **आवेदन-प्रपत्र** — प्ररूप 15 (EDC) व 15-क (डाक मतपत्र) — मतदान से कम-से-कम 4 दिन पूर्व RO के यहाँ; बूथ पर ये नहीं भरे जाते।

प्ररूप 16 व 16-क — भरे नमूने

नगरीय निकाय चुनाव 2026

(सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप — 16

(नियम 46 देखिए)

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र

नगरपालिका पावटा . वार्ड सं 21 के लिये निर्वाचन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कमल कुमार .. वार्ड सं 21..... में निर्वाचक है। उनका नाम निर्वाचन नामावली के भाग संख्यांक 122..... में क्रम संख्यांक .12.. पर प्रविष्ट है,

कि उनके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण वे उस मतदान केन्द्र में, जहां वे मत देने के हकदार हैं, मत देने में असमर्थ हैं और इसलिए उन्हें:-

मतदान केन्द्र संख्यांक 122.....मतदान केन्द्र का नाम . राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,पावटा . में जहां मतदान की तारीख को वे ड्यूटी पर हैं, मत देने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

तारीख .12.08.2026..

स्थान पावटा .

संतोष कुमार

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

प्ररूप-16 (EDC) — पाद में RO के हस्ताक्षर व मोहर

नगरीय निकाय चुनाव 2026

(सभी नाम काल्पनिक है,केवल प्रशिक्षण हेतु)

प्ररूप — 16 क

(नियम — 46 क(4)(क) एवं 78 देखिये)

निर्वाचक द्वारा घोषणा

..... पावटा नगरपालिका बोर्ड/नगरस्थित/नगरनिगम*के लिए निर्वाचन में, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वह मतदाता हूँ जिसको उपरिवर्णित नगरपालिका बोर्ड/नगरस्थित/नगरनिगम के वार्ड संख्या .21.... से/*आख्या के पद/स्थान के निर्वाचन में क्रम संख्या 122..... वाला डाक मतपत्र जारी किया गया है।

तारीख 12../.08...../ .2026.....

पता सुनारों का मोहल्ला,पावटा ..

सुमित कुमार

मतदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

उपरिवर्णित पर, ... सुमित कुमार (मतदाता) ने, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ/या जिसकी किशन कुमार..... (पहचानने वाला) ने, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ, ने मेरे समाधानप्रद रूप में पहचान की है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

प्रभा देवी

अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर

यदि कोई पहचानने वाला है तो उसके हस्ताक्षर किशन कुमार

पदनाम प्रधानाचार्य.....

पता राउमावि,सेवना

तारीख 14.08.2026.....

पदनाम राउमावि,सेवना

तारीख 14.08.2026.....

*जो समय लागू न हो, उसे काट देंगे।

मनीष कुमार गोयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

प्ररूप 16-क — घोषणा व अनुप्रमाणन-खण्ड

स्रोत: DLMT प्रपत्र-पुस्तिका 'सभी प्रकार के भरे हुए प्रपत्र' (राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, 2026) — अंक काल्पनिक, केवल प्रशिक्षण हेतु

प्रपत्र प्रशिक्षण · 40

07

लिफाफे और जमा

E-1 से E-14 · पृष्ठांकन · तीन काउंटर

आठ सीलबन्द लिफाफे — E-1 से E-8

लिफाफा	अन्तर्वस्तु
E-1	निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति
E-2	मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 14-क)
E-3	प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ
E-4	अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र
E-5	प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र
E-6	निविदत्त मतों की सूची (प्ररूप 14-ख)
E-7	चैलेंज मतों की सूची (प्ररूप 13)
E-8	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र (प्ररूप 16)

तीन नियम

चपड़ी-सीलिंग अभ्यर्थी/एजेंट की उपस्थिति में — वे अपनी सील भी लगा सकते हैं; E-1 से E-6 का अलग पैकेट बनेगा; ये लिफाफे न्यायालय-आदेश के बिना नहीं खोले जा सकते (नियम 74-क(1)) — पृष्ठांकन पूरा लिखें।

छह बिना-सील लिफाफे — E-9 से E-14

लिफाफा	अन्तर्वस्तु
E-9	प्ररूप 14-ग — लिफाफे पर 'Account of Votes Recorded / रिकार्ड किये गये मतों का लेखा' लिखना अनिवार्य
E-10	परि-6 की तीनों घोषणाएँ + परि-19 मॉक पोल प्रमाणपत्र
E-11	परि-7 डायरी + 14-ग की दूसरी प्रति
E-12	सांख्यिकीय सूचना (प्रारूप जिला/RO से प्राप्त)
E-13	अप्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ
E-14	विविध: साथी-घोषणाएँ (परि-12) व प्ररूप-12 · अप्रयुक्त एड्रेस/स्पेशल टैग · प्ररूप 9-10 · कार्यकारी प्रतियाँ · आयु-घोषणाएँ (परि-10/11) · रसीद बुक (परि-13) · अप्रयुक्त/क्षतिग्रस्त पेपर-स्ट्रिप सीलें · अन्य कागजात

दो चूकें जो हर चुनाव में होती हैं

सूचना शून्य हो तो भी प्रपत्र पर 'शून्य' लिखकर लिफाफा बनेगा — कोई लिफाफा छूटेगा नहीं; और सब लिफाफों पर चपड़ी नहीं लगती — E-9 से E-14 बिना सील ही रहेंगे।

परिशिष्ट-15A — लिफाफों का बूथवार विवरण

नगरीय निकाय चुनाव 2026 (सभी नाम काल्पनिक हैं,केवल प्रशिक्षण हेतु)

परिशिष्ट-15A

लिफाफों का विवरण जो मतदान दल को बूथवार तैयार करने हैं

जो सील करने हैं-	
1 निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रति	लिफाफा नं. E -1
2 मतदाताओं का रजिस्टर	लिफाफा नं. E -2
3 प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ	लिफाफा नं. E -3
4 अप्रयुक्त निविदत मतपत्र	लिफाफा नं. E -4
5 प्रयुक्त निविदत मतपत्र	लिफाफा नं. E -5
6 निविदत मतों की सूची (प्ररूप-14 ख)	लिफाफा नं. E -6
7 अभ्याक्षेपित (चैलेन्जड) मतों की सूची (प्ररूप-13)	लिफाफा नं. E -7
8 निर्वाचन झूठी प्रमाण-पत्र	लिफाफा नं. E -8
जो सील नहीं करने हैं-	
1 ^० रिकार्ड किये गये मतों का लेखा प्ररूप-14 ग	लिफाफा नं. E -9
2 ^० पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाये एवं मॉकपॉल प्रमाण पत्र	लिफाफा नं. E -10
3 ^० पीठासीन अधिकारी की डायरी	लिफाफा नं. E -11
4 ^० संश्लिष्ट/ऑकडो की सूचना	लिफाफा नं. E -12
5 ^० अप्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ	लिफाफा नं. E -13
6 ^० विविध कागजात का लिफाफा जिसमें	लिफाफा नं. E -14

मनीष कुमार गौयल (SLMT-Jaipur) 9928012538

E-1 से E-14 की छपी सूची — सीलबन्द/बिना-सील विभाजन सहित

तीन जमा-काउंटर — रसीद लेकर ही हटें

- 1 काउंटर-1 · स्ट्रॉन्ग रूम**
सीलबन्द CU + BU तथा E-9, E-10, E-11, E-12 — ये चारों बिना-सील लिफाफे मशीन के साथ यहीं जमा होंगे, काउंटर-2 पर नहीं।
- 2 काउंटर-2 · लिफाफे**
सीलबन्द E-1 से E-8 (E-1–E-6 का अलग पैकेट) + बिना-सील E-13, E-14।
- 3 काउंटर-3 · सामग्री**
पीतल सील, अमिट स्याही, एरोक्रॉस सील, सुभिन्नकारी मोहर, डमी बैलट शीट, अप्रयुक्त यूनिट, थैलियाँ आदि — 16 मदों की सूची।

डायरी का विशेष नियम

E-11 में रखी डायरी सीलबन्द मशीन के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में बंद नहीं होगी — वह RO/ARO की अभिरक्षा में रहेगी (आदेश 858)। हर काउंटर से रसीद लेकर ही हटें — 'लापरवाही क्षम्य नहीं'; रास्ते में कहीं न रुकें।

अभिकर्ता किन कागजों के हकदार हैं

- **प्रमाणित प्रति** — समाप्ति पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता माँगे तो 14-ग की प्रमाणित प्रति।
- **क्रमांक नोट करना** — BU, पिंग पेपर सील, स्ट्रिप सील व स्पेशल टैग के क्रमांक नोट करने का अवसर।
- **हस्ताक्षर के अवसर** — परि-19 (मॉक पोल), परि-6 की तीनों घोषणाएँ, पेपर सील, एड्रेस टैग और कागजी पैकेट — हर जगह इच्छुक अभिकर्ता के हस्ताक्षर/सील; इन्कार करें तो नाम दर्ज।
- **मिलान की जानकारी** — समय-समय के TOTAL अंकों का मिलान अभिकर्ताओं के समक्ष।

08

सावधान

छपी गलतियाँ • आम चूकें • जो विहित नहीं

आम गलतियाँ और परियोजना-सत्यापित निर्णय

भ्रम/गलती	सही
14-ग मद 9(4) का छपा निर्देश '(मद 3 से मद 2 घटाइए)'	उल्टा है — सही: मद 9(2) – मद 9(3)
भाग-2 में नोटा की पंक्ति खाली छोड़ना	शून्य हो तो '0' लिखें
मॉक पोल विवरण डायरी मद 25 में	मद 30 में (मद 25 = मशीन-निष्फलता — वहाँ लिखना झूठा अभिलेख)
परि-19 को परि-7 के साथ नत्थी करना	परि-6 के साथ, लिफाफा E-10
मॉक पोल में सबको समान वोट	शर्त नहीं — नोटा सहित प्रत्येक को न्यूनतम 1-1
E-9 पर केवल 'E-9' लिखना	'Account of Votes Recorded' शब्द लिखना नियम 49-क(2) की अपेक्षा
डायरी स्ट्रॉन्ग रूम में मशीन के साथ	कभी नहीं — RO/ARO की अभिरक्षा (आदेश 858)
मतदाता पर्ची PO-1 जारी करे	PO-2 जारी करता है — क्रम: पहचान → 14-क → स्याही → पर्ची → PO-3 → BALLOT

जो कहीं विहित नहीं मिला — दावा न करें

- **E-12 का प्रारूप** — सांख्यिकीय सूचना का विहित प्रारूप किसी पठित स्रोत में नहीं — जिला/RO द्वारा दिया गया प्रपत्र ही भरा जाएगा।
- **लिफाफों के रंग/आकार** — E-लिफाफों के रंग या आकार का कोई विधान नहीं मिला।
- **प्रारूप 15 बनाम 15-क** — दोनों के अंतिम प्रयोग-भेद की पुष्टि आयोग की मूल प्रति से करना शेष है।
- **डमी के अंक** — प्रशिक्षण-डमी (पावटा/वार्ड 21) के कई अंक आपस में असंगत हैं — उन्हें उदाहरण की तरह न दोहराएँ; अपने केन्द्र के वास्तविक अंकों से मिलान-सूत्र सिखाएँ।

संदर्भ — प्रत्येक तथ्य का स्रोत

- **पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शिका (EVM), नगरपालिका आम चुनाव 2026**
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान — प्ररूप/परिशिष्ट पाठ सहित
- **राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994**
नियम 26, 35-क, 38-क, 43, 44-क, 46-46-क, 47-क से 50-क, 74-क, 78
- **सां.आ. 145/2026 — मशीन सीलबन्दी (परि-20)**
आदेश क्रमांक 560, दिनांक 16.01.2026
- **अमिट स्याही निर्देश (परि-17)**
क्रमांक 1408, दिनांक 04.02.2026
- **पुनर्मतदान-स्याही आदेश (परि-18)**
क्रमांक 2205, दिनांक 04.07.2019
- **डायरी-अभिरक्षा आदेश**
क्रमांक 858, दिनांक 04.10.1999
- **मतदाता-पहचान दस्तावेज (परि-16 का अधिक्रमण)**
आदेश क्रमांक 5310, दिनांक 30.07.2026
- **डाक मतपत्र/EDC निर्देश-संकलन**
पत्रांक 1451, 1459 एवं 1891 (संकलन 24.08.2026)
- **DLMT प्रशिक्षण-सामग्री व प्रपत्र-पुस्तिका**
जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर सामग्री, 2026 — परियोजना-समीक्षित
- **परियोजना-सत्यापन**
DLMT सुधार-पत्रक एवं भरे-नमूनों का अध्ययन (training/), अगस्त 2026
- **विलोपित प्रपत्र**
9-क/10-क — अधिसूचना 16.10.2019; प्ररूप 11 — 11.07.2014

प्रयोग-नोट

स्रोत-पाठ OCR/KrutiDev-डिकोड से पढ़े गए हैं; प्रमुख अंक व प्रारूप मूल पाठ से पुनः पुष्ट हैं। विहित प्रपत्रों की छपी प्रतियाँ ही अंतिम आधार हैं।